भारत सरकार

खान मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2888

10 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

खानों की नीलामी से अर्जित राजस्व

2888. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरियाः
श्री जी॰ सेल्वमः

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 2015 के आलोक में कितनी खानों की नीलामी की गई है और गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र और राज्यों द्वारा इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने नीलामी की जाने वाली खानों हेतु सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो नीलामी हेतु राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी खानों की पहचान की गई है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का खानों की सुचारूढंग से नीलामी हेतु उक्त राज्यों की सहायता करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या खानों की नीलामी की प्रक्रिया में कुछ बाधाओं का सामना किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे दूर करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

उत्तर

खान, कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क): अभी तक, खान और खनिज (विकास और विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम, 2015 के तहत राज्यों ने प्रमुख खनिजों की 64 खानों की नीलामी की है। इन नीलाम की गई खानों की पट्टावधि पर अनुमानित कुल राजस्व 1,85,093 करोड़ रूपए है, जिसमें से केंद्र सरकार को 729 करोड़ रूपए के राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास (एनएमईटी) अंशदान का उपार्जन होगा तथा शेष राज्य सरकारों के लिए है, जिसमें नीलामी प्रीमियम, रॉयल्टी और जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) अंशदान शामिल है।

(ख): एमएमडीआर अधिनियम तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी संबंधित सीमाओं के भीतर अवस्थित खनिजों के लिए सांविधिक प्रक्रिया के अनुसार खनिज रियायतें प्रदान करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्यों द्वारा नीलामी के लिए प्रस्तावित खनिज ब्लॉकों की संख्या निम्नानुसार है :

क्र.सं.	राज्य	नीलामी हेतु प्रक्रियाधीन ब्लॉक
1	आंध प्रदेश	17 खनिज ब्लॉक
2	छत्तीसगढ़	11 खनिज ब्लॉक
3	गुजरात	11 खनिज ब्लॉक
4	झारखंड	26 खनिज ब्लॉक
5	कर्नाटक	14 खनिज ब्लॉक
6	ओडिशा	39 खनिज ब्लॉक
7	राजस्थान	8 खनिज ब्लॉक
कुल		**126 खनिज ब्लॉक**

(ग): केंद्र सरकार ने अपने संस्थानों अर्थात भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) और भारतीय खान ब्यूरो तथा विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड (एसबीआईसीएपी), मेकॉन लिमिटेड और एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से राज्य सरकारों को लेनदेन परामर्श सेवाओं और डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) सर्वे एवं टोटल स्टेशन सर्वे, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट (जीआर) तैयारी तथा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के लिए आरंभिक हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करके नीलामी प्रक्रिया को सुगम बना दिया है।

(घ): राज्यों द्वारा नीलामी के लिए रखे गए कुछ खनिज ब्लॉकों को बोलीदाताओं की पर्याप्त संख्या न होने के कारण रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकारों ने कमजोर खनिजीकरण/खनिज अयस्कों की श्रेणी, प्रतिकूल मांग-आपूर्ति परिदृश्य, खनिज ब्लॉकों के लिए अंत्य-उपयोग आरक्षणों का होना, अनुपयुक्त भूमि स्वामित्व पैटर्न, उच्च आरक्षित मूल्य और भुगतान शर्तों जैसे कारण बताए।

खान मंत्रालय ने नीलामी प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने और खनिज ब्लॉकों की नीलामी शीघ्र करने में राज्यों की सहायता के लिए दिनांक 30.11.2017 की अधिसूचना के माध्यम से खनिज नीलामी नियमों को संशोधित किया। नियमों में किए गए प्रमुख संशोधनों में नीलामी प्रक्रिया में राज्य सरकारों को लचीलापन, खानों की नीलामी में बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी के लिए शुद्ध मूल्य आवश्यकता में छूट, उन खानों के मामले में, जिनको निर्दिष्ट अंत्य उपयोग हेतु आरक्षित किया गया है, पूर्व वित्त वर्ष में उत्खनित कुल खनिज के 25 प्रतिशत तक के निपटान की छूट और राजस्व अंश के सापेक्ष शीघ्रतम अपफ्रंट भुगतान का पूर्णत: समायोजन शामिल है।

*****